119

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

किशनबाई पत्नि जमना सौर (आदिवासी)
निवासी ग्राम चमारी तहसील बीना
जिला सागर .....निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर एंव तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र 10 / बी–121 / 15–16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चमारी स्थित भूमि खसरा क्र 79 / 5 रकवा 0.81 हे. भूमि आवेदिका के पिता को पट्टा पर प्राप्त भूमि है तथा पिता के स्वर्गवास उपरांत उक्त वादग्रस्त भूमि आवेदिका की मां तथा मां के स्वर्गवास उपरांत वर्तमान में भूमि आवेदिका के नाम पर दर्ज है, जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि उपजाउ ना होने से वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा है साथ ही उसे अपनी पुत्री का विवाह व व्यवसाय स्थापित करना है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3483/II/16 जिला .....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-10-2016	1– आवेदिका के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्रकरण कलेक्टर सागर जिला सागर एंव तहसीलदार बीना के प्रकरण क्रमांक 10/बी–121/ वर्ष 15–16 में के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदिका की भूमि ग्राम मौजा चमारी खसरा क्र 79/5 रकवा 0.81 हे में स्थित है जो कि उसके पिता को पटटे पर प्राप्त भूमि है तथा पिता के स्वर्गवास उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका की मां तथा उनके उपरांत वर्तमान में आवेदिका के नाम पर दर्ज भूमि है जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदिका द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदिका बीमार चल रही है जिस कारण उसको अपने इलाज हेतु पैसों की अवश्यकता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहती हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके तथा अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कर सके। आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की	

-3- R 3483-I/16 माल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक। आदि के हस्ताक्षर
	अत्यन्त आवश्यकता है। चूंकि वह भूमि को विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेगी इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया आवेदक का भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किए जाने का आवेदन पत्र लंबित होने से वह अपना सही तरीके से पैसों के आभाव में इलाज नहीं कर पा रही है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 3— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदिका द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है। आवेदिका द्वारा अपनी अस्वाथता के संबंध में शपथपत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार बीना के प्रतिवेदन की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका की प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के नाम पर दर्ज भूमि है एंव वह अपनी भूमि को विक्रय करना चाहती है। तथा आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदिका को भूमि खसरा क्र 79/5 रकवा 0.81 हे को विक्रय करने की अनुमति	

R 3483-E116 21/011

-4-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निम्न शर्त के साथ 'प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	